न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई–I, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 09/2019

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
तरूण पुत्र धनराज जाति सिन्धी
निवासी महावीर नगर बाड़मेर
(फर्म मैसर्स तरूण ऐजेन्सी, महावीर नगर बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्यामलाल सिंघल, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.09.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स तरूण ऐजेन्सी महावीर नगर बाड़मेर जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **07.06.2018** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **SC water Car.Fruit.Beve.(MC CLB)** भरी हुई पाई गयी जो कि अन्य खाद्य सामग्री के साथ रखी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **12 बोतल SC water Car.Fruit.Beve.(MC CLB)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–913** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **SC water Car.Fruit.Beve.(MC CLB)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **SC water Car.Fruit.Beve.(MC CLB)** का नमूना **अवमानक (Sub-standard)** एवं अवधि पार पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है व फुटकर धन्धा करता है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमूना प्लास्टिक की बोतल में पैक किया हुआ था व वह पेय पदार्थ वृन्दा ओवरसीज कम्पनी द्वारा निर्मित था। अप्रार्थी द्वारा इस पेय पदार्थ को नहीं बनाया गया है तथा छोटे दुकानदारों से खरीदा था। अप्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति है जिसे लिये गये नमून पेय पदार्थ का मयाद बाहर होने का ज्ञान हुआ तो उसने अपने दुकान के मुख्य परिसर से हटाकर गोदाम में रख दिया था अर्थात वह पेय पदार्थ विक्रय हेतु नहीं था। मौके पर खाद्य निरीक्षक को इस बाबत अवगत भी करा दिया था। अप्रार्थी से लिया गया नमूना अवमानक एवं अवधि पार स्तर का होना पाया गया है परन्तु नमूना अवमानक होने बाबत भी अप्रार्थी को कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह पदार्थ अप्रार्थी द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। अप्रार्थी से लिया गया नमूना अवमानक पाया गया इसके लिये पूरी जिम्मेदारी पेय पदार्थ निर्माण करने वाली कम्पनी की है। अप्रार्थी एक बहुत ही छोटा व्यापारी है और उसका यह प्रथम अपराध है इसके लिये अप्रार्थी को माफी दी जावे, आईन्दा पूरा ध्यान रखा जाएगा।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 21.06.2018 मे उक्त नमू[illegible]धि पार का होना पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस[illegible]वाब[illegible] तलब किया गया किंतु अप्रार्थी अथवा उसके अधिवक्ता [illegible]तिरक्षण के[illegible] मे जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस पर यह परिवा[illegible]थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी की फ[illegible] से लिया गया नमूना प्लास्टिक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बोतल में पैक किया हुआ था व वह पेय पदार्थ वृन्दा ओवरसीज कम्पनी द्वारा निर्मित था। अप्रार्थी द्वारा इस पेय पदार्थ को नहीं बनाया गया है तथा छोटे दुकानदारों से खरीदा था। अप्रार्थी एक अनपढ व्यक्ति है जिसे लिये गये नमून पेय पदार्थ का मयाद बाहर होने का ज्ञान हुआ तो उसने अपने दुकान के मुख्य परिसर से हटाकर गोदाम में रख दिया था अर्थात वह पेय पदार्थ विक्रय हेतु नहीं था। अप्रार्थी द्वारा उक्त पेय पदार्थ स्वयं निर्मित नहीं होना बताते हुए वृन्दा ओवरसीज कम्पनी द्वारा निर्मित होना बताया है किन्तु कम्पनी की ओर से अथवा फर्म की ओर से क्रय किये जाने के कोई बिल वाउचर बावजूद नोटिस पेश नहीं किये हैं। इसके अलावा अप्रार्थी का कथन है कि वह अनपढ व्यक्ति है जिसे उक्त खाद्य/पेय पदार्थ अवधि पार होने बाबत कोई ज्ञान नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया हैं क्योंकि किसी अन्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ क्रय करने के बाद अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी मानकता व मानव उपयोग हेतु गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से जाहिर हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक एवं अवधि पार पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नही है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 50,000/– अक्षरे रूपये पचास हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:32 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश विश्नोई–I)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर